far to the tune of 1,92,912 million tonnes and proved reserve of 64,595 million tonnes have been found in our country upto a depth of 1200 metres;

(b) whether it is also a fact that most of the projects of coal mines which are being developed after nationalisation are shallow depth open cast mines, if so, what are the details of the planning of his Ministry to develop the reserves of coal which are below 100 metres upto a depth of 1200 metres; and

(c) whether CIL is opting for softer options by developing open cast mining only l a niveag.pol r1Pt cult task for the future generation to develop deep reserves of coal at a later date?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) As on 1-1-1993, estimated reserves of coal in the country (down to a depth of 1200 metres) as per assessment done by Geological Survey of India are 193777. 13 million tonnes (Gondwana Coalfields—192915.14 million tonnes; Tertiary coalfields—861.99 million tonnes). Out of these 64852.60 million tonne (Gondwana Coalfields—64595.57 million tonnes; Tertiary coalfields—257.03 million tonnes) are in 'proved' category.

(b) and (c) The emphasis given to opencast mining for development of coal reserves lying under shallow depth was mainly on account of steep increase in the demand of coal particularly for the power sector in the post nationalisation period. In order to meet this demand, opencast projects were taken up given due consideration to factors like the location of power projects, availability of explored coal deposits and the infrastructure required to transport coal to the power houses. Some of the examples of rapid development of opencast coal mines linked to various major thermal power plants are the mines located in Singrauli, Korba, Rajmahal, North Karanpura, Talcher and Wardha coalfields. Emphasis is also being given to the development of underground mines particularly for increasing production of coking coals in Jharia coalfield and superior grade non-coking coals in the Ranignj coalfield. For development of deeper reserves in future, emphasis is being given to detailed exploration in potentlal underground mine blocks.

कोयला कम्पनियों की बकाया धनराशि

3566. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपनी बकाया धनराशि वसूल नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 30 जून 1993 की स्थिति के अनुसार कोयले के प्रमुख उपभोक्ताओं पर कुल कितनी धनराशि बकाया है और प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बकाया धनराशि का भुगतान न होने के कारण ब्याज की राशि में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ब्याज के रूप में कतनी धनराशि का भुगतान किया गया है और :

(ङ) बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजति कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां । यह देय बकाया राशि काफी अवधि से एकत्रित हो गई है । मुख्यत:

इसलिए क्योंकि कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की कीमत तथा विद्युत उपयोगिताओं द्वारा की गई अदायगी के बीच आए अन्तराल के कारण। कोयले के बिलों का न निपटारा किए जाने के लिए मुख्य कारण विद्युत उपयोगिताओं द्वारा वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया जाना है।

(ग) दिनांक 30-6-1993 की स्थिति के अनुसार मुख्य उपभोक्ताओं से ली जाने वाली देय बकाया राशि की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

(करोड़ रु० में)
(आंकड़े अनंतिम)

(क) विद्युत उपभोग

1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	13.90
2.	अहमदाबाद विद्युत कं०	30.22
3.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	275.10
4.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	59.51
5.	कलकत्ता विद्युत सप्लाई कं० (सी०ई०एस०सी०)	7.96
6.	दामोदर घाटी निगम	265.29
7.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	59.15
8.	दुर्गापुर परियोजना	87.18
9.	गुजरात विद्युत बोर्ड	165.83
10.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	129.70
11.	कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन लि०	6.93
12.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	52.96
13.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	378.21
14.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	242.52
15.	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	12.65
16.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	193.95
17.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	36.93
18.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	90.74
19.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	284.57
20.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	136.99
21.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास कारपोरेशन	158.17
22.	अन्य	9.81
	जोड़ :	2698.35
	(ख) रेलवे	65.88
	(ग) इस्पात	367.33
	(घ) सरकार	101.24
	(ङ) अन्य	83.92

(घ) कोल इंडिया लि० देय बकाया राशि पर ब्याज की राशि शामिल कर रही है। ब्याज की राशि की वसूली किया जाना संभव नहीं हो सका।

(ङ) इस देय बकाया राशि को वसूल किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) दिनांक 1-4-1989 के बाद चालू की गई सभी विद्युत यूनिटों को कोयले की आपूर्ति केवल अग्रिम की गई सभी विद्युत यूनिटों को कोयले की आपूर्ति

केवल अग्रिम अदायगी के एवज में अथवा रिवाल्विंग लेटर आफ क्रेडिट के एवज में की जाएगी ।

(2) भारत सरकार ने 31-5-1990 को कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि के सभी अविवादित मामलों को राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता की राशि के एवज में, जिन राज्य सरकारों के राज्य विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगितायें दोषी पाई गई हैं, उनसे 4 बराबर की वार्षिक किश्तों में समायोजित करने का निर्णय लिया । अभी तक 3 किश्तें प्राप्त हुई हैं ।

(3) बकाया देय राशि के एकत्रित हो जाने के परिणामस्वरूप कोयला मंत्रालय ने को०इं०लि० को यह सलाह दी है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को केवल अग्रिम अदायगी के एवज में ही कोयले की आपूर्ति करें । यह योजना जोकि "कैश एण्ड कैरी योजना" के नाम से जानी जाती है, दिनांक 1-10-1991 से शुरू की गई है ।

(4) राज्य सरकारों, से राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशि का शीघ्र निपटारा किए जाने के लिए बोर्डों को राजी करने/अदायगी के लिए तैयार करने के लिए, अनुरोध किया गया है ।

खनन कार्य में अनियमितायें

3567. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनन-कार्य में हैवी एच० ई० एम० एस० की सेवाएं लिए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा एक स्वतंत्रिकाय के माध्यम से की गई जांच की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार को, अन्य बातों के अलावा, उपकरण को उपयोग में न लाने/कम उपयोग में लाने की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में सूचना मिली है, जैसा कि लिंगराज, गिरीडीह तथा चिन्ना खानों में उपकरण का कम उपयोग किया जाना ।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र निकाय के माध्यम कोई जांच नहीं कराई गई है ।

(घ) कोयला कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वें वास्तविक स्थिति के सत्यापन के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करें ।

कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब

3568. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कब आदेश दिए गए थे ; और

(ग) कंपनियों द्वारा इसकी शीघ्र आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) निर्माताओं द्वारा कोयला कंपनियो को निम्न उपकरणों की देरी से आपूर्ति किए